न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2012 जिला–दतिया

1. गजराज सिंह पुत्र छक्कीलाल
2. धन सिंह पुत्र राजधर
3. मंगल पुत्र दुर्गे कुशवाह
निवासीगण– गुमानपुरा तहसील सेवढ़ा, जिला–दतिया (म.प्र.)
.... आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्रीमती माधवीराजे पत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह गुर्जर
2. हरगोविन्द पुत्र छोटेलाल जाटव
निवासीगण– गुमानपुरा तहसील सेवढ़ा जिला–दतिया (म.प्र.)
......अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार तहसील सेवढ़ा द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ–70/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 22.10.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, अनावेदक क्रमांक–1 द्वारा अपनी कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 86/2 रकवा 0.16, 246/2 रकवा 0.30 एवं सर्वे क्रमांक 193/367/2 रकवा 0.12 हेक्टेयर स्थित ग्राम मौजा बालमपुर तहसील सेवढ़ा का सीमांकन हेतु आवेदन–पत्र तहसील सेवढ़ा, जिला–दतिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो तहसीलदार सेवढ़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2011 से स्वीकार किया गया था। इस सीमांकन कार्यवाही में मेढ़िया कृषकों एवं हितबद्ध व्यक्ति आवेदकगणों को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया था।

2– यहकि, तहसीलदार सेवढ़ा के आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा कलेक्टर, जिला–दतिया के समक्ष पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 51/2010–11 प्रस्तुत किया गया था, जो कलेक्टर, जिला–दतिया द्वारा दिनांक 16.01.2012 से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार का आदेश दिनांक 08.09.2011 अपास्त किया गया था और प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था कि वह हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना देकर उनको

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./3915/एक/2012 जिला दतिया

गजराज सिंह आदि विरुद्ध श्रीमती माधवी राजे आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार सेवढ़ा जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक-1/अ-70/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 22/10/2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 19/7/19 को कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 31/5/19 सदस्य	